

भाग-I

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. (क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव -/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। :- जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, कुणजेठी से ब्यूंखी मोटर मार्ग (लम्बाई 7.500 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।
 (ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। :- संलग्न है।
 (ग) परियोजना की लागत। :- 500.00 लाख
 (घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। :- अन्य कोई वैकल्पिक भूमि का उपलब्ध न होना।
 (ङ.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए) :- संलग्न है।
 (च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। :- मोटर मार्ग के निर्माण से कुशल/अकुशल श्रमिकों को रोजगार हेतु लगभग 2000 मानव दिवस।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण: :-

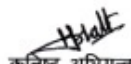
आरक्षित वन भूमि	:-	शून्य हे०
सिविल सोयम भूमि	:-	0.6629 हे०
मलवा निस्तारण हेतु भूमि	:-	0.060 हे०
वन पंचायत भूमि	:-	1.6891 हे०
मलवा निस्तारण हेतु		0.3105 हे०
योग		2.7225 हे०
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है :- लागू नहीं है।
 (क) परिवारों की संख्या :-
 (ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के :-
 (ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) :-
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986के अर्न्तगत मन्जूरी आवश्यक है ? (हाँ/नहीं) :- नहीं।
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये) :- संलग्न है।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा। :- संलग्न है।

दिनांक 12/02/2019

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

स्थान Rudrapur

नाम- R.C. UNIAL


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिचाई खण्ड,
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिचाई खण्ड,
रुद्रप्रयाग


अधिसीसी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिचाई खण्ड,
रुद्रप्रयाग

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

प्रपत्र-3

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, कुणजेठी से ब्यूंखी मोटर मार्ग (लम्बाई 7.500 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

7. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति :- कुणजेठी से ब्यूंखी मोटर मार्ग
- i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र :- उत्तराखण्ड
- (ii) जिला :- रुद्रप्रयाग
- (iii) जिला वन प्रभाग :- रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
- (iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र :- 2.7225.है०
8. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिस्थिति :- वन पंचायत भूमि, सिविल
9. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा :-
- (i) वन का प्रकार :- मिश्रित
- (ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व :- 0.50 - 0.60
- (iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना :- संलग्न
- (iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यक्रम योजना का नुस्खा :- ~~नहीं~~
10. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण :- भू-क्षरण की सम्भावना नहीं है।
11. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :- 0.025KM.
12. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :-
- (i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :- घुंरग, काखंड, गुलदार
- (ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अल्पवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) :- नहीं
- (iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या

वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

- (iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)
- (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे
13. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)
14. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :
- (i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए
- (ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश कि
15. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :
- (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)
- (ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वर्तित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए
- (iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)
- (iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)
- (iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।
- (v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिचय :
- (vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।
17. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।
18. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों
- दिनांक.....

स्थान...रुद्र प्रयाग

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर

परियोजना विकास कार्य की पूर्ण सिफारिश की जाती है

(मयंक शेरखर) उप वन संरक्षक

नहीं

नहीं

नहीं

न्यूनतम 5% अपरिहार्य

X

नहीं

नहीं

नहीं

नहीं

हाँ

संलग्न

हाँ

हाँ

प्रपत्र-4

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, कुणजेठी से ब्यूंखी मोटर मार्ग (लम्बाई 7.500 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भाग-III

- 19 क्या स्थल, जहाँ अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन :-
संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां/नहीं)। यदि हां, तो
निरीक्षण टिप्पण के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की
तारीख संलग्न की जाय।
- 20 क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन :-
संरक्षक की सिफारिशों से सहमत हैं।
- 21 विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए :-
वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

तिथि.....

स्थान.....

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर